तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 37/2011 ई.दी. तुलसीराम बनाम अजन्ता मार्बल वगै. (1/2) आदेश दिनांक : 21.02.2026	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

21.02.2026

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी बहस में उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी ने रिबिटल साक्ष्य में धनराज वादी संख्या 2 का शपथ पत्र पेश किया है जिसे इस स्तर पर पेश करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वादी साक्ष्य में धनराज गवाह के रूप में पूर्व में प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस कारण वादी की ओर से धनराज का शपथ पत्र रिबिटल साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। रिबिटल साक्ष्य में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन स्वरूप ही वादी को साक्ष्य पेश करने का अधिकार है जबकि धनराज ने सम्पूर्ण वाद का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जो पेश नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत धनराज के शपथ पत्र को रिकार्ड से हटाया जावें।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में उक्त तर्कों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी धनराज रिबिटल साक्ष्य में साक्षी के रूप में पेश हो सकता है। वादी धनराज ने पूर्व में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु किसी विशेष कारण के उसके बयान नहीं हो सके। रिबिटल साक्ष्य में वादी जिसकी साक्ष्य हो चुकी है वह स्वयं पेश हो सकता है एवं जो साक्ष्य में पेश नहीं हुआ है वह भी साक्ष्य के रूप में पेश हो सकता है। वादी ने उन्हीं तनकीयात के खण्डन स्वरूप साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया है जो प्रतिवादी के जिम्मे हैं। प्रतिवादी के द्वारा तनकी संख्या 5, 6 व 7 के संबंध में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसी सीमा तक वादी ने रिबिटल में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद

21.2.2026

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा
प्रकरण संख्या : 37/2011 ई.दी.
तुलसीराम बनाम अजन्ता मार्बल वगै.
(2/2)

आदेश दिनांक : 21.02.202

प्रतिवादीगण के विरुद्ध संविदा की विशिष्ट पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा संबंध में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1 हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी की रिबिटल साक्ष्य में वादी धनराज द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को रिकार्ड से हटवाना चाहा गया हैं। वादी की ओर से रिबिटल साक्ष्य में प्रस्तुत वादी धनराज के शपथ पत्र के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादी का अपने रिबिटल साक्ष्य में प्रस्तुत धनराज के शपथ पत्र के माध्यम से यह कथन रहा है कि विवाद्यक संख्या 5, 6 व 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है, उसके संबंध में वादी धनराज का रिबिटल साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी पक्ष का यह तर्क कि जिस गवाह को पूर्व में साक्ष्य में वादी में पेश नहीं किया गया है, उसे रिबिटल साक्ष्य में पेश नहीं किया जा सकता है, का संबंध है तो इस बाबत् प्रतिवादी पक्ष की ओर से ऐसा कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि जिस साक्षी को पूर्व में वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है वह रिबिटल साक्ष्य में उपस्थित नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी यदि वादी धनराज के शपथ पत्र को रिकार्ड पर लिया जाता है तो प्रतिवादी पक्ष को उससे जिरह करने का अधिकार प्राप्त है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. को अस्वीकार किया जा कर खारिज किया जाता है और वादी की रिबिटल साक्ष्य में प्रस्तुत वादी धनराज के शपथ पत्र को रिकार्ड पर लिया जाता है।

वादीगण उक्त गवाह को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित रखें और प्रतिवादी पक्ष उक्त गवाह से आवश्यक रूप से जिरह करें। उक्त गवाह के उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में उक्त गवाह की साक्ष्य बंद समझी जायेगी और प्रतिवादी पक्ष द्वारा जिरह नहीं करने पर प्रतिवादी का जिरह का अधिकार बंद समझा जायेगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी रिबिटल हेतु दिनांक 25.02.26 को पेश हो।

21.2.26

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

मु.न. 37/11 C.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible] / 37 [illegible]	
25/2/26	व क्लास उर्फ माइक वादी सिविल माइक PW3 उपस्थित को बयान हुये हुये। सिविल माइक को की जाती है। वादी के आवे. के साथ प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर पेश किया नकल प्रतिवादी [illegible] जवाब [illegible] [illegible] चाहा। पेश किया गया [illegible] प्रा.पत्र पर सुना गया पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 4.3.26 को पेश हो।	[signature]

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा
प्रकरण संख्या : 37/2011 ई.दी.
तुलसीराम वगै. बनाम अजन्ता मार्बल वगै.
(1/4)

आदेश दिनांक : 05.03.2026

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

05.03.2026

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपने नोटिफिकेशन नंबर 03/ई.वी./2026 दिनांक 27.02.2026 के द्वारा दिनांक 04.03.2026 का अवकाश घोषित किया गया जिस कारण पत्रावली आज पेशी में ली गयी।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित।

इस आदेशिका के माध्यम से विद्वान् अधिवक्ता वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है जिसके संबंध में बहस उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है।

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी

विद्वान् अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि माननीय न्यायालय के आदेश से पूर्व में कलम संख्या 5(अ) नई जोड़ी गई थी जिसमें सहवन से खसरा संख्या 180/162 रकबा 0.5059 (2 बीघा) किस्म बारानी–3 का उल्लेख किया जाना रह गया जिसे प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में उक्त तर्कों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुति के पश्चात् भी वादपत्र में संशोधन हेतु पूर्व में कई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे तत्समय भी वादीगण ने वांछित संशोधन बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

प्रकरण पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है। वादीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब कारित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावें।

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद संविदा की पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने विवादित जायदाद का उल्लेख वादपत्र के मद संख्या 5(अ) में किया है। वादीगण द्वारा पूर्व में भी दिनांक 03.03.2021, 02.08.2023 एवं 16.10.2024 को वादपत्र में संशोधन बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें उक्त आशय के संशोधन बाबत् कोई अंकन नहीं किया गया है और अब जानबुझकर प्रकरण को लंबित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतीत हो रहा है। वादीगण द्वारा पूर्व में भी समय समय पर कई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण मात्र प्रकरण को लंबित करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र साक्ष्य वादी रिबिटल समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सीपीसी

विद्वान् अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि हस्तगत वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2013 को जो विवाद्यक विरचित किये गये हैं उनमें तनकी संख्या

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

3 एवं 5 को संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त तनकीयात में संशोधन नहीं किये जाने पर वादीगण न्याय से वंचित हो जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त तनकीयात में संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में उक्त तर्कों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है। प्रकरण में वादीगण की रिबटल साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है और उसके पश्चात् वादीगण द्वारा तनकीयात में संशोधन बाबत् उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब कारित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र विशेष खर्चे के साथ अस्वीकार कर खारिज किया जावें।

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद संविदा की पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से विवाद्यक संख्या 3 एवं 5 में संशोधन करवाना चाहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र साक्ष्य वादी रिबिटल समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जो कि वादीगण के द्वारा अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। पत्रावली में दिनांक 23.10.2013 को जो विवाद्यक विरचित किये गये हैं, वे विवाद्यक प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु पर्याप्त है जिससे वादीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये विवाद्यक संख्या 3 एवं 5 में संशोधन किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रकरण वर्तमान में बहस अतिम की

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 37/2011 ई.दी. तुलसीराम वगै. बनाम अजन्ता मार्बल वगै. (4/4) आदेश दिनांक : 05.03.2026	नम्बर व ... अहलकार ... हुक्म की ... में जारी
	स्टेज पर आ चुका है। ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु दिनांक 11.3.26 को पेश हो। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नाथद्वारा (राजसमन्द)	
12.03.26	दिनांक 11.03.26 को स्थानीय अधिवक्ता संघ के प्रस्ताव अनुसार अधिवक्तागण अनुपस्थित। बहस अंतिम हेतु पेश नहीं। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 18.03.26 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाथद्वारा (राजसमन्द)	
18.3.26	अधिवक्ता पक्षकार उप० अधिवक्ता पक्षकार ने बहस अंतिम हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 25/3/26 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाथद्वारा (राजसमन्द)	
25/3/26	अधिवक्ता पक्षकार उप० अधिवक्ता पक्षकार ने बहस अंतिम हेतु समय चाहा आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible] हुई पत्रावली वास्ते अंतिम [illegible] 1.5.26 [illegible] पेश हो [illegible] अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश हाथरस (उत्तरप्रदेश)	